

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2260, 2261 व 2262/2014/जयपुर

सहायक आयुक्त,
वृत्त –एम जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मै0 ग्लेजटेक ऐलूपेनल प्राउलि0
जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष
श्री इश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित :

श्री रामकरण सिंह
उपराजकीय अभिभाषक
श्री पंकज घीया,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15/01/2016

निर्णय

अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त तीनों अपीलों उपायुक्त (अपील्स) पंचम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवद्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 29. 06.2010 के विरुद्ध पेश की गई है। उक्त अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–एम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा धारा–9 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम सहपठित धारा–24, वैट अधिनियम के तहत दिनांक 08.12.2008 को पारित आदेश में किये गये करारोपण को आंशिक स्वीकार करने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 व 2007–08 के दौरान प्रत्यर्थी द्वास की गई अन्तरराज्यीय बिक्री पर अधिसूचित वस्तु के लिये निर्धारित कर दर से कर वसूल कर जमा कराया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिक्रित माल पर 12.5 प्रतिशत की कर देयता होने से आलौच्य अवधि की बिक्री पर अन्तर कर का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अतिरिक्त कर व ब्याज का आरोपण भी किया गया। चुंकि प्रत्यर्थी मासिक कर दाता है तथा मासिक कर दर से जमा कराये जाने पर ब्याज तथा बिक्री प्रपत्र दर से पेश किए जाने पर धारा–58 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध

अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त कर व ब्याज राशियों को अपास्त करते हुए व प्रत्यर्थी के मासिक कर दाता होने से समय पर घोषणा प्रपत्र पेश नहीं करने पर आरोपित ब्याज को तथा वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति राशि को यथावत रखा जाकर प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के द्वारा अतिरिक्त कर व ब्याज राशियों को अपास्त किये जाने से व्यक्ति होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपीलें हमारे समक्ष पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का खण्डन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को उचित बताया तथा कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा एल्यूमिनियम कम्पोजिट की बिक्री की जाती है। उक्त वस्तु 9 स्तरीय प्रक्रिया में से गुजरती है तथा इसके बाद तैयार की जाती है अतः यह वस्तु एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल है जो कि एल्यूमिनियम शीट से भिन्न वस्तु होने के कारण यह 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा इसकी गलत व्याख्या करते हुए इस वस्तु को एल्यूमिनियम शीट दर्शा कर कर की अपवंचना की गई है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते व उत्पादित वस्तु की सम्पूर्ण व्याख्या करते हुए आदेश पारित किया था, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे एल्यूमिनियम शीट मानते हुए अन्तर कर व ब्याज को अपास्त किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी का यह आदेश विधिविरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए तथा अपनी बाद दौहराते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिक्रीत एल्यूमिनियम शीट को एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल माना जाकर, उक्त बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया कर, गलत व अविधिक है। बिक्रित वस्तु एल्यूमिनियम शीट होने के कारण उस पर कर अधिसूचित कर दर से देय है क्योंकि यह आरवेट के सिङ्हूल के पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 235 "Non Ferrous Metal Sheet (including foil) circle] wires] strips & scraps" में आता है। अपीलार्थी द्वारा एल्यूमिनियम शीट की ही बिक्री की जाती है, तथा इसे आम बोलचाल में एल्यूमिनियम शीट भी कहा जाता है, तथा इसका वाणिज्यिक उपयोग भी एल्यूमिनियम शीट के रूप में होता है। प्रत्यर्थी द्वारा दो एल्यूमिनियम शीट को जोड़ दिया जाता है तथा दोनों को जोड़ने की विधि में पी.वी.डी.एफ. व प्लास्टिक ग्लू का उपयोग किया जाता है।

दो शीट को जोड़कर कलर कर दिया जाता है, जिसमें प्राईमर, एपोक्सी पेन्ट आदि का प्रयोग होता है तथा कलर खराब न हो इसलिए उस पर एक पतली प्लास्टिक फिल्म चढ़ा दी जाती है, जो कि, जब भी उक्त शीट प्रयोग में जाती है, उसको हटा दिया जाता है। पूर्ण प्रक्रिया में सिर्फ दो शीट को जोड़कर मोटाई बढ़ाकर कलर चढ़ा दिया जाता है। इसमें शीट में किसी प्रकार का परिवर्तन व नई वाणिज्यिक वस्तु का उत्पाद नहीं होते हैं क्योंकि सिर्फ दो शीट को जोड़ा जाता है, जिससे उसकी मोटाई एवं मजबूती बढ़ जाए। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का रूप परिवर्तन जैसे कि मोड़ना, आकृति देना, अथवा कोई नई वस्तु बनाना या कोई शीट से अलग वस्तु का उत्पाद नहीं होता है। दोनों शीट को जोड़ने से भी एल्यूमिनियम शीट समान ही रहती है तथा इसका उपयोग भी समान ही रहता है। वैट अधिनियम के अन्तर्गत शीट की कर दर सिड्यूल-चतुर्थ में निर्धारित है तथा प्रत्यर्थी द्वारा एल्यूमिनियम शीट का ही विक्रय किया जाता है। मात्र दो शीट को जोड़ने व कलर करने से नई वाणिज्यिक वस्तु का उत्पादन नहीं होता है तथा वस्तु समान ही रहती है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि विभिन्न न्यायालयों ने यह निर्धारित किया है कि मात्र वस्तु के प्रोसेसिंग को उत्पादन नहीं माना जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आरवेट अधिनियम की धारा-2(22) जो कि उत्पादन की परिभाषा है, के अनुसार भी नई एवं अलग उत्पाद की वस्तु की वस्तु आती है, तभी उसे उत्पादन माना जा सकता है। वर्तमान में प्रत्यर्थी द्वारा दो शीट्स को ग्लू से जोड़कर व पेन्ट कर विक्रय किया जा रहा है जो कि अन्य उत्पाद नहीं है व दोनों शीट जोड़कर भी उसे शीट ही माना जाता है।

उनका कथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान साधारण शीट व इस प्रकार दो शीट को जोड़कर मोटाई बढ़ाई जाने के पश्चात् तैयार की गई शीट की बिक्री की दरों में अन्तर होता है किन्तु दोनों प्रकार की शीट्स को एल्यूमिनियम शीट के रूप में ही बेचा जाकर निर्धारित कर दर से कर वसूल किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य के बाहर से आयातित एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल को ही 12.5 प्रतिशत की दर से बेचा गया है व जिसे विवरण पत्रों में दर्शाया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा ए.सी.पी. की कोई खरीद-बिक्री नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यदि प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत वस्तु को एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल माना भी जाए तो वह भी आरवेट के सिड्यूल के पार्ट-बी की प्रतिष्ठि संख्या 235 में आने के कारण निर्धारित कर दर से ही कर योग्य है। आन्ध्रप्रदेश

राज्य में इस प्रकार का विवाद उठाया गया था किन्तु राज्य की एडवांस आथेरिटी द्वारा स्पष्टीकरण जारी करते हुए एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल को कमशः 4, 10 प्रतिशत से कर योग्य माना गया है। इस प्रकार आन्ध्रप्रदेश राज्य से संबंधित उक्त निर्णय के आधार पर भी प्रत्यर्थी द्वारा विक्रय की गई एल्यूमिनियम शीट/कम्पोजिट पैनल पर कर की दर निर्धारित होने के कारण आरोपित अतिरिक्त कर व ब्याज अपास्त किया जाए। विद्वान् अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की बिक्रीत वस्तु को एल्यूमिनियम शीट से भिन्न उत्पाद माने जाने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उनके द्वारा किसी प्रकार की जांच की जाकर यह प्रमाणित किया गया है कि कि बिक्रीत वस्तु भिन्न उत्पाद है। व्यापार जगत से भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं की गई। उन्होंने अपने स्वयं की विवेचना के आधार पर बिक्रीत वस्तुओं को भिन्न उत्पाद माना है। अतः बिना किसी आधार के भिन्न वस्तुएँ मानते हुए किया गया अतिरिक्त कर का आरोपण अविधिक है। प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत वस्तु को निर्धारित कर दर से कर योग्य दर्शाया जाकर विवरण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं व प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर उसके विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई। आरोपित ब्याज के संबंध में विद्वान् अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि आरोपित कर ही अविधिक है अतः आरोपित ब्याज भी अविधिक है। यह भी कहा कि ब्याज का आरोपण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कर का निर्धारण नहीं कर दिया जाए। चूंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश की तिथि को ही कर का निर्धारण (Quantification) किया गया है अतः पूर्व की अवधि हेतु कर देय मानते हुए किया गया ब्याज का आरोपण अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान् अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में 2004(178) ईएलटी 1099 (DEL), 2006(196) ईएलटी 400 (एससी), 2008(231) ईएलटी 577 (एससी), 2009(241) ईएलटी 481 (एससी), 2012 (276) ईएलटी 162 (एससी) निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का व रिकोर्ड का परिशीलन किया गया।

रिकोर्ड के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दो एल्यूमिनियम शीट को जोड़कर तैयार वस्तु को एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल मानते हुए अतिरिक्त कर का आरोपण करने का आधार 9 स्तरीय प्रक्रिया में से गुजरने के बाद तैयार की गई वस्तु है। यह वस्तु एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल है जो कि एल्यूमिनियम शीट से भिन्न वस्तु होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से कर

:: 5 :: अपील संख्या – 2260, 2261 व 2262/2014/जयपुर
योग्य है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता के अनुसार दो एल्यूमिनियम शीट के जोड़ने के
दौरान कलर व पेंटिंग की जाती है किन्तु एल्यूमिनियम शीट का रूप वही रहता
है व इससे शीट की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता न ही कोई भिन्न
उत्पाद तैयार होता है। पारित कर निर्धारण आदेश के अन्तर्गत कर निर्धारण
अधिकारी द्वारा केवल यह उल्लेख करते हुए इसको भिन्न उत्पाद माना गया है
कि “मेरी राय में एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल एक भिन्न उत्पाद है।” कर
निर्धारण अधिकारी द्वारा न तो यह प्रमाणित किया गया है कि उक्त उत्पाद
एल्यूमिनियम शीट्स से किस प्रकार भिन्न है? न ही उनके द्वारा किसी प्रकार
की कोई जांच कर यह निष्कार्ष निकाला गया है कि 9 स्तरीय प्रक्रिया से
गुजरने के पश्चात् तैयार वस्तु एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल है तथा उसका
प्रयोग एल्यूमिनियम शीट्स से भिन्न है व भिन्न उत्पादों के रूप में कम्पोजिट
पैनल व एल्यूमिनियम शीट का विक्रय किया जाता है। यह निश्चित किए जाने
हेतु आवश्यक था कि कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर
की गई जांच के दौरान इस तथ्य की अच्छी तरह जांच करते कि 9 स्तरीय
प्रक्रिया से तैयार तथाकथित एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल, एल्यूमिनियम शीट से
किस प्रकार भिन्न उत्पाद है व इसका भिन्न उपयोग क्या है? किन्तु कर
निर्धारण अधिकारी द्वारा तैयार वस्तुओं का भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया
गया व अपनी राय प्रकट करते हुए दो एल्यूमिनियम शीट को जोड़ने की प्रक्रिया
से तैयार वस्तु को एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल मानकर एल्यूमिनियम शीट से
भिन्न उत्पाद मानते हुए, तैयार वस्तु को कर कर दर से बेचे जाने के आधार
पर करापवंचन किया जाना मानकर अतिरिक्त कर व ब्याज का आरोपण कर
दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री बिलों की जांच कर पाया
गया कि प्रत्यर्थी द्वारा मोटाई के आधार पर एल्यूमिनियम शीट की भिन्न दरों से
बिक्री की गई है किन्तु उक्त शीट को कहीं भी एल्यूमिनियक कम्पोजिट पैनल
के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा, दो
शीट्स को जोड़कर प्रत्यर्थी द्वारा तैयार की गई शीट को, एल्यूमिनियम
कम्पोजिट पैनल मानते हुए, इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि प्रत्यर्थी
द्वारा कम्पोजिट एल्यूमिनियम पैनल शीट की बिक्री अलग-अलग दर्शायी गई है,
किन्तु जांच पर पाया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा कोई वर्गीकरण किया जाकर
बिक्रीत वस्तुओं को भिन्न-भिन्न वस्तुएं मानते हुए बिक्री नहीं दर्शाई गई है।
इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष 2006–07 के दौरान एल्यूमिनियम कम्पोजिट
पैनल को राज्य के बाहर से आयत कर उनकी ही पृथक से बिक्री दर्शाई गई है
व उक्त बिक्री को बिक्री प्रपत्रों में भी प्रदर्शित किया गया है तथा उस पर 12.5

:: 6 :: अपील संख्या – 2260, 2261 व 2262/2014/जयपुर
प्रतिशत से कर वसूल किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तथ्यों
कि पूर्ण रूप से जांच कर व परीक्षण किये बिना, अपने स्वयं के विवक्ते से,
प्रत्यर्थी द्वारा दो शीट्स को जोड़कर तैयार शीट को दो भिन्न उत्पाद मानते हुए,
जो करारोपण किया गया है उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के तथ्य,
प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बिक्री प्रपत्रों व वैट-7 के तहत प्रस्तुत खरीद के विवरण से
यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा एल्यूमिनियम शीट व उनको जोड़ने का ही सामान
मुख्यतः खरीदा गया है व मुख्यतः एल्यूमिनियम शीट की ही बिक्री कि गई है।
वर्ष 2006-07 के दौरान एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल कि पृथक से खरीद
प्रदर्शित कि जा कर 12.5 प्रतिशत से बिक्री की गई है जबकि वर्ष 2007-08 के
दौरान इस प्रकार की कोई खरीद-बिक्री नहीं कि गई है। अतः कर निर्धारण
अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों के विपरित एल्यूमिनियम शीट व शीट्स को जोड़कर
तैयार कि गई शीट को भिन्न वस्तु मानी जा कर किया गया अतिरिक्त कर व
ब्याज को आरोपण अनुचित होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे अपास्त
किया गया है, जो पुर्णतया उचित एवं विधिक प्रतीत होता है।

अतः प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में
रखते हुए यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा
आरोपित अतिरिक्त कर व ब्याज को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी
नें कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के इस आदेश में
कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

परिणामतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

३५-१२०१६
(इश्वरीलाल वर्मा)

सदस्य

-३६२
(बी के मीणा)

अध्यक्ष